समक्ष :न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण /आर/II/2019 निगरानी-0155/2019/श्योपुर/भू.रा.

हाफिज फईमुद्दीन पुत्र मुस्तजावउद्दीन
जाति बोहरा मुसलमान, निवासी श्योपुर
जिला श्योपुर म.प्र.

..................आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

..................अनावेदक

आवेदन न्यायालय अपर आयुक्त महोदय चमबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 14/2014–15/ निगरानी में हुये निर्णय दिनांक 24.09.18 के विरूद्व अंतर्गत धारा 50 भूराजस्व संहिता एवं रिव्यू प्र.कं. 02/18–19/रिव्यू आदेश दिनांक 29.10.18

माननीय न्यायालय,

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता के तहत निम्नांकित प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य :–

यह कि ग्राम मठेपुरा की भूमि सर्वे नम्बर 24/10 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि धूडिया पुत्र लालजी जाति कोली क नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर सम्बत 2026 से 2029 में अंकित थी। धूडिया की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उसे वारिस पन्ना पुत्र धूडिया, धन्नी, वमंगडी पुत्रीया एवं मु.ग्यारसीबाई बेवा धूडिया के नाम नामांतरण पंजी कमांक 08/15.03.1970 से फौती नामांतरण हुआ था।

यह कि ग्यारसीबाई बेवा धूडिया कोली द्वारा दिनांक 17 जून 1986 से उक्त भूमि सर्वे नम्बर 24/10 में से हिस्सा 1/2 में से रकबा 10 बिस्वा भूमि कोशल्याबाई पत्नी हरिप्रसाद मित्तल के पक्ष में विकय पत्र लिखवाया था और भूमि की रजिस्ट्री की गई थी और कौशल्याबाई द्वारा विकय पत्र के आधार पर विधिवत राजस्व अभिलेख में नामांतरण पंजी कमांक 07/09.12.97 को नामांतरण स्वीकार किया गया था।

यह कि राजस्व अभिलेख मे नामांतरण होने के पश्चात कौशल्याबाई द्वारा विधिवत उक्त भूमि के डायवर्सन हेतु श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय

कमंशः............2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी 155/2019/श्योपुर/भू.रा.

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा कों आदि के हस्ताक्षर
4.4.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री वीरसिंह जादौन उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण में तर्क किये गये। तर्क के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की थी जिसमें आदेश दिनांक 24.9.18 के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के यहा पारित आदेश निगरानी में जिसके विरूद्व रिव्यु प्रकरण भी आयुक्त चंबल संभाग मुरैना में किया गया था जिसका आदेश दिनांक 29.10.18 पारित किया गया है। जबकि इस न्यायालय में निगरानी में आदेश दिनांक 24.9.18 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। 2--आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह त्रुटि मान्य की गई, आवेदक अधिवक्ता प्रकरण को आगे नहीं चालाना चाहते है। अतः प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	